

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक

2020

विषय :

धरीक्षण शान्ति मीरा सिद्धनाथ डिग्री महाविद्यालय, कुल्हड़िया, भोजपुर का संबंधन के  
संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक C/47/Estab/2020 दिनांक-13.01.2020 द्वारा धरीक्षण शान्ति मीरा सिद्धनाथ डिग्री महाविद्यालय, कुल्हड़िया, भोजपुर को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में शैक्षणिक सत्र 2020-23 के लिए अस्थाई संबंधन प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त अनुशांसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा धरीक्षण शान्ति मीरा सिद्धनाथ डिग्री महाविद्यालय, कुल्हड़िया, भोजपुर को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 21 (2) (d) में निहित प्रावधान के तहत कला संकाय के निम्न 17 विषयों में एक शैक्षणिक सत्र (सत्र 2020-23) के लिए अस्थाई संबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संकाय	विषय	संबंधन की स्थिति
1	कला (पारा एवं प्रतिष्ठा स्तर)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, भोजपुरी, पाली, बोध दर्शन, एवं संगीत (कुल 17 विषयों)	शैक्षणिक सत्र 2020-23 के लिए अस्थाई संबंधन।

निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा धारित भूमि में संयुक्त अध्यापक शिक्षा संस्थान के अन्य विभागों के साथ भागीदारी होगी की सम्पुष्टि एवं सुरक्षा कोष में वांछित राशि जमा कराने के उपरान्त नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापंक 15/ए3 05/2020 - 1170

पटना, दिनांक- 08.07.2020

प्रतिलिपि: प्राचार्य, धरीक्षण शान्ति मीरा सिद्धनाथ डिग्री महाविद्यालय, कुल्हड़िया, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवराईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव